

# जल जीवन मिशन जल्द पूरा करेगा मध्यप्रदेश

## सीएम डॉ. यादव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिया टॉस्क

प्रशासनिक संवाददाता  
भोपाल, 10 दिसंबर. जल जीवन मिशन के काम में पीछे चल रहे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्र सरकार की डेडलाइन से 21 माह पहले काम पूरा करने का टॉस्क दिया है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के काम को पूरा का लक्ष्य संशोधित कर इसे दिसंबर 2028 कर दिया है, लेकिन मप्र में ये काम अब मार्च 2027 तक पूरा करना होगा. उन्होंने कहा है कि इस मामले में मप्र को राष्ट्रीय स्तर पर



मिशाल पेश करना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को मंत्रालय में पीएचई विभाग की दो वर्ष की उपलब्धि

और तीन वर्ष की कार्ययोजना को लेकर बैठक की. ये बैठक मंगलवार को ही खजुराहो में होनी थी, लेकिन समय की कमी के कारण नहीं हो सकी, ऐसे में अब मंत्रालय में हो रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी स्थिति में जल स्रोतों में सीवरेज का दूषित जल नहीं मिले और इसके लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह भी कहा कि जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरपंचों और महिला समूहों को राज्य, संभाग, जिला और ग्राम स्तर पर

सम्मानित किया जाए. विगत 10 वर्षों में जिन ग्रामों को जल संकट का सामना करना पड़ा है, उनकी रिपोर्ट तैयार कर उन क्षेत्रों में जल प्रदाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जल की उपलब्धता के अनुसार जल वितरण का समय तय किया जाए, जिससे नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो सके. मिशन के प्रभाव का विश्लेषण अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के माध्यम से कराए जाने की बात भी कही. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि

## 80 लाख घरों में पहुंचा नल-जल कनेक्शन

प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पी. नहरि ने बताया कि अब तक प्रदेश में 80 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं और मिशन की कुल प्रगति 72.54 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में 8.19 लाख कनेक्शन का लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा किया गया है और वर्ष 2025-26 में अब तक 5.50 लाख कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं. बैठक में बताया कि मप्र बोरेवेल दुर्घटना रोकने के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य है. साथ ही स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान में प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान मिला है. प्रदेश में 21,552 ग्राम हर घर जल घोषित किए जा चुके हैं तथा 15,026 ग्रामों को प्रमाणित किया जा चुका है.

गांव के ऐसे द्यूबवेल की सूची बनवाएँ, जिनमें हमेशा पानी रहता हो और द्यूबवेल मालिक सेवाभावी हों. जरूरत पड़ने पर इनके द्यूबवेल से पानी की आपूर्ति कराने का प्रयास करें. बैठक में भविष्य के विज्ञान पर जानकारी देते हुए बताया गया कि आगामी तीन वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर तक सुरक्षित नल-जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है.

# सुशासन दिवस के शपथ समारोह में उपस्थित रहेंगे सभी अधिकारी

## जीएडी ने जारी किए निर्देश

प्रशासनिक संवाददाता  
भोपाल, 10 दिसंबर. मंत्रालय स्थित सरदार बल्लभ भाई पटेल पार्क में 24 दिसंबर को प्रातः 11 बजे सुशासन दिवस की शपथ दिलाई जायेगी.

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, अपर सचिव, उप सचिव, अवर सचिव विन्यांचल एवं सतपुड़ा भवन सहित मंत्रालय के सभी अधिकारी/कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के लिए निर्देश दिये हैं. उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय



अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित सुशासन के उच्चतम मापदण्डों के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए उनके जन्म दिवस 25 दिसंबर के एक दिन पूर्व 24 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है.

## एक नजर में

माधव टाइगर रिजर्व में हॉग साइन बोर्ड प्रतिस्थापित

शिवपुरी. माधव राष्ट्रीय उद्यान को माधव टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुए एक वर्ष का समय बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद उद्यान के प्रवेश द्वार सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों पर अब भी माधव राष्ट्रीय उद्यान नाम वाले पुराने साइन बोर्ड ही लगे हुए हैं. इससे यहां आने वाले पर्यटकों को उद्यान के वास्तविक नाम को लेकर लगातार भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है. उद्यान प्रशासन के सूत्रों ने आज बताया कि टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलने के बाद विभागीय स्तर पर कई संरचनात्मक और प्रशासनिक बदलाव किए गए थे, लेकिन विभिन्न स्थानों पर लगे नामफलक और सूचना बोर्ड तकनीकी कारणों के चलते समय पर बदले नहीं जा सके.

## छूटे नामों को शामिल किये जाने की अंतिम तिथि आज

सिंगरौली. निर्वाचन आयोग द्वारा कराये जा रहे मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण के लिए बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना पत्रक भराये जा रहे। निर्वाचन आयोग द्वारा गणना पत्रक भराये जाने की अंतिम तिथि कल दिन गुरुवार 11 दिसंबर को निर्धारित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव बैनल के द्वारा जिले के नागरिकों से आग्रह किया गया है जिन मतदाताओं के द्वारा अभी तक अपने गणना पत्रक भरकर बीएलओ को जमा नहीं कराया गया वे अपने संबंधित बीएलओ से सम्पर्क कर 11 दिसंबर तक अपना गणना पत्रक भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि गणना पत्रकों का शत-प्रतिशत डिजिटल आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया है।



# प्रदेश में अगले दो दिनों तक कड़ाके की ठंड

## 25 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे

भोपाल, 10 दिसंबर. मध्य प्रदेश इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में है. उत्तर भारत से आ रही बर्फाली हवाओं, ऊपरी हवा में सक्रिय जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ के संयुक्त प्रभाव से तापमान तेजी से गिर रहा है.

मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए भी भोपाल, इंदौर, विदिशा, राजगढ़, शाजापुर और सीहोर जिले में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. प्रदेश में कई शहरों में

इंदौर जिले में तीव्र शीतलहर दर्ज की गई, तापमान 5.4 डिग्री पहुंचा. अधिकतम तापमान में खास बदलाव नहीं हुआ. लेकिन इंदौर संभाग में यह सामान्य से 2 डिग्री तक कम रहा. न्यूनतम तापमान भी कई संभागों में सामान्य से नीचे रहा. भोपाल संभाग में यह सामान्य से 5 डिग्री तक कम, उज्जैन में 3.1 डिग्री तक कम, जबकि इंदौर, नर्मदापुरम, रीवा, जबलपुर, शहडोल और सागर में यह 1.8 से 2.8 डिग्री तक कम दर्ज किया गया.

तापमान लगातार गिर रहा है. शहडोल के कल्याणपुर में न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा. भोपाल में रात का तापमान 7.2 डिग्री, जबकि इंदौर सहित 25 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया.

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दिसंबर और जनवरी में लंबे समय तक ठंड का यह सिलसिला जारी रह सकता है. पिछले 24 घंटों में प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहा. भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, शाजापुर और शहडोल जिलों में शीतलहर ने असर दिखाया.

## डॉ. स्वतंत्र पटेल बने सिहावल बीएमओ

सीधी, 10 दिसंबर. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिहावल का नया मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ. स्वतंत्र पटेल को बनाया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बनिता खरे ने जारी आदेश में कहा है कि प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिहावल, जिला सीधी का प्रभार आगामी आदेश तक के लिये डॉ. स्वतंत्र पटेल, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नकड़र को तत्काल प्रभाव से सौंपा जाता है। उक्त आदेश प्रभावशाली होने के फलस्वरूप डॉ. रामभूषण पटेल, मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिहावल जिला सीधी के प्रभार से मुक्त होकर पूर्ववत् मूल पद चिकित्सा अधिकारी पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमिलिया में दायित्व निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे।

# ट्रेन प्रस्थान से 12 घंटे पूर्व तैयार होगा आरक्षण चार्ट

## रेलवे प्रशासन ने लिया महत्वपूर्ण फैसला

भोपाल, 10 दिसंबर. यात्रियों की सुविधा और उन्हें समय रहते आरक्षण स्थिति की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है.

अब गाड़ी संख्या 12155/12156 रानी कमलापति-हजरत निजामुद्दीन-रानी कमलापति (शां-ए-भोपाल) सुपरफास्ट एक्सप्रेस का प्रथम आरक्षण चार्ट ट्रेन प्रस्थान से कम से कम 12 घंटे पूर्व तैयार किया जाएगा. यह व्यवस्था 12 दिसंबर 2025 से पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू रहेगी. इससे दूरस्थ स्थानों से आने वाले यात्रियों को ट्रेन



पकड़ने में सुविधा मिलेगी तथा अंतिम समय की अनिश्चितता और चिंता कम होगी. नई व्यवस्था के अंतर्गत इस गाड़ी के आपातकालीन कोटा हेतु आवेदन कार्यदिवस में एक दिन पूर्व स्वीकार किए जाएंगे. सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि यह कदम यात्रियों के हित में उठाया गया है, जिससे उन्हें

## नवंबर में 479.59 करोड़ रुपये का राजस्व मिला

पश्चिम मध्य रेल ने नवंबर माह में माल यातायात से 479 करोड़ 59 लाख रुपये का ऑरिजिनेटिंग राजस्व अर्जित किया. जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 428 करोड़ 03 लाख रुपये की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है. यह उपलब्धि रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित 465 करोड़ 71 लाख रुपये के लक्ष्य से भी लगभग 3 प्रतिशत अधिक रही. भोपाल मंडल ने इसी अवधि में 75 करोड़ 76 लाख रुपये का ऑरिजिनेटिंग राजस्व हासिल किया. राजस्व वृद्धि के लिए रेलवे द्वारा मालगाड़ियों की औसत गति बढ़ाने, विभिन्न रेल खंडों में क्षमता विस्तार, ऑपरेशनल सुधार, गुड्स टर्मिनल और साइडिंग बढ़ाने, डिटेंशन कम करने तथा 24\*7 लॉडिंग-अनलॉडिंग जैसी सेवाएँ शुरू की गईं. साथ ही नए माल गोदामों के विकास और दोहरीकरण-तिहरीकरण जैसे अधोसंरचनात्मक कार्यों में भी तेजी लाई गई है. पश्चिम मध्य रेलवे माल यातायात में निरंतर बढ़ती रेलिए आगे भी प्रयास जारी

रखा से पहले ही आरक्षण की अद्यतन स्थिति ज्ञात हो सके और यात्रा की योजना अधिक सुगमता से बनाई जा सके. अभी यह पहल केवल शां- ए -भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में लागू की जा रही है, जिसे आगे परिणामों के आधार पर विस्तारित किया जा सकता है.

# जहरीले कचरे की राख के मामले में कोर्ट की रोक

## रासायनिक कचरा की राख आबादी वाले क्षेत्र के पास नष्ट करने का मामला

जबलपुर, 10 दिसंबर. हाईकोर्ट ने न्यूनतम कार्बाइड (यू.सी.) के जहरीले कचरे के विनष्टीकरण से निकली राख के विनष्टीकरण आबादी वाले क्षेत्र से सिर्फ पांच सौ मीटर दूर किये जाने पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट के इस आदेश को वापस लेने के लिए सरकार की तरफ से आवेदन पेश किया गया है.

हाईकोर्ट जस्टिस विवेक कुमार सिंह तथा जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की युगलपीठ ने आवेदन पर दो सप्ताह बाद सुनवाई निर्धारित की है.

## युगलपीठ ने राज्य सरकार को किया था निर्देशित

कचरा जहरीला है और इसे ठीक से नहीं रोका गया तो भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उसे रोकने वाला स्ट्रक्चर ही टूट जाए या गिर जाए, तो एक और आपदा होगी। सरकार को जहरीली राख को ऐसी जगहों पर ले जाने की संभावना पर विचार करना चाहिए जो इंसानी बस्तियाँ, पेड़-पौधों और पानी के स्रोत से बहुत दूर हों। कंटेनमेंट सिस्टम टूट भी जाए, तो भी इसके बुरे असर बहुत कम हों। युगलपीठ ने राज्य सरकार को निर्देशित किया था कि जहरीले कचरे की राख की लैंडफिलिंग की सबसे अच्छी टैक्निकल एक्सपर्टीज पाने के लिए कोई ग्लोबल टेंडर निकाला जाए, जिनके पास इस तरह का काम करने और जहरीले कैमिकल कचरे को कंटेन करने के अनुभव हो, इस संबंध में जानकारी प्रस्तुत करें।

को है. साल 2004 में आलोक प्रताप सिंह ने न्यूनतम कार्बाइड के जहरीले कचरे के विनष्टीकरण की मांग करते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता की मृत्यु के बाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई संज्ञान याचिका के रूप में कर रही थी. पूर्व में हाईकोर्ट जस्टिस अतुल

# कुर्सी पर बैठे-बैठे युवक की मौत दुकान में काम करते समय अचानक गिरा

## नव भारत न्यूज

इंदौर, 10 दिसंबर. भंवरकुआं थाना क्षेत्र की एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में मंगलवार दोपहर अचानक हुए हादसे ने सभी को चौंका दिया.

मोबाइल फाइनेंस का काम कर रहे एक युवक को दुकान में ही तबीयत बिगड़ी और वह कुर्सी से नीचे गिर पड़ा. हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना का वीडियो बुधवार को सामने आया, जिसके बाद मामला चर्चा में आया. थाना प्रभारी राजकुमार यादव ने बताया कि 31 वर्षीय मृतक शिवनारायण मालवीय मुसाखंडी में रहता था और तीन इमली क्षेत्र स्थित अजय



इंटरप्राइजेस में निजी फाइनेंस कंपनी की ओर से काम करता था. बताया गया कि वह एक ग्राहक को फाइनेंस प्रक्रिया पूरी कर रहा था, तभी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा. परिजन ने पुलिस को बताया कि शिवनारायण सुबह बिल्कुल सामान्य था और रोज की तरह ही घर से निकला था.

# धान खरीदी केंद्र बरका में अवैध वसूली का आरोप

## किसानों में आक्रोश, 100 बोरी पर एक बोरी धान मांगा जा रहा नजराना

नवभारत न्यूज  
सरई 10 दिसंबर. जिले के धान खरीदी केंद्र बरका में किसानों के साथ गड़बड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। किसानों का आरोप है कि केंद्र के समूह संचालक उत्तम गुप्ता द्वारा धान खरीदी के दौरान नियमों के विपरित अवैध वसूली की जा रही है।

बताया गया कि यदि किसान 100 बोरी धान जमा करता है, तो उससे एक बोरी धान कमीशन के रूप में मांगी जा रही है। इसके अलावा धान की बोरी सिलाई के नाम पर भी किसानों से पैसे वसूले जा रहे हैं, जबकि शासन की गाइडलाइन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। किसानों का

कहना है कि पहले ही लागत बढ़ने और मौसम की मार से वे परेशान हैं, ऊपर से धान खरीदी केंद्र पर इस तरह की मनमाना उनके लिए बड़ी समस्या बन रही है। कई किसानों ने उर के कारण खुलकर शिकायत नहीं की, लेकिन अब मामला सामने आने के बाद नाराजगी खुलकर दिखाई देने लगी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा है कि शासन द्वारा निर्धारित 40 किलोग्राम प्रति बोरी के मानक के अनुसार ही तौल की जाए और किसी भी प्रकार की अतिरिक्त वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी केंद्र पर नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित

संचालक और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि यदि कहीं भी उनसे कमीशन, सिलाई शुल्क या अन्य किसी बहाने से अवैध वसूली की जा रही है तो वे तुरंत संबंधित तहसील, खाद्य विभाग या कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराए। साथ ही यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता को पहचान गोपनीय रखी जाएगी। धान खरीदी केंद्रों पर पारदर्शिता और किसानों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को और से लगातार निगरानी की जा रही है। किसानों ने भी उम्मीद जताई है कि प्रशासन की सख्ती से इस तरह की गड़बड़ियाँ पर जल्द लगाम लगेगी।



# विहिप व बजरंग दल का शौर्य पथ संचालन आयोजित

नवभारत न्यूज  
शक्तिनगर 10 दिसंबर। वह दिन जब लाखों राम भक्तों ने आस्था के लिए संघर्ष किया। यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति अटूट निष्ठा की गाथा है। विवादित ढांचा हटने के साथ संघर्ष निर्णायक मोड़ पर पहुंचा और आज रामलला अपने भव्य धाम में

विराजमान हैं। उक्त विचार शौर्य पथ संचालन के दौरान प्रांत प्रमुख प्रशासनिक संपर्क विभाग हेमंत मिश्रा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि शौर्य दिवस बड़े गर्व का पर्व है। शौर्य दिवस के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शक्तिनगर प्रखंड द्वारा शौर्य पथ संचालन का आयोजन किया गया।

# चलती बस में महिला का नर्सो ने कराया सुरक्षित प्रसव

## मां और नवजात दोनों स्वस्थ

नवभारत न्यूज  
सीधी, 10 दिसंबर. जिले में पड़ोसी अस्पताल की स्टाफ नर्सों ने चलती बस में एक गर्भवती महिला का सुरक्षित प्रसव कराया। यह महिला सिंगरौली जिले के निगरी की रहने वाली थी और सीधी से कुसुमी जा रही थी। सोमवार को शाम करीब 6:30 बजे महिला को डोल और बरमबाबा के बीच जंगल क्षेत्र में अचानक तेज प्रसव पीड़ा हुई। उसी बस में स्वास्थ्य विभाग की पांच नर्सिंग स्टाफ मौजूद थीं, जो गेट कीपर्स प्रशिक्षण से लौट रही थीं। स्थिति को गंभीरता को देखते हुए पड़ोसी की नर्स अंजलि गुप्ता और



महिला की जांच की। उन्होंने तय किया कि महिला को अन्य स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाना जोखिम भरा हो सकता है। बिना समय गंवाए, दोनों नर्सों ने बस में ही सुरक्षित प्रसव कराने का निर्णय लिया। यात्रियों को पीछे हटने और गोपनीयता बनाए रखने के लिए परदे की व्यवस्था की गई। सीमित संसाधनों के बावजूद नर्सों ने पूरी सतर्कता और कुशलता के साथ महिला का प्रसव कराया। कुछ ही दिनों में महिला को एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के बाद

नर्सों ने तुरंत मझौली के बीएमओ डॉ. संदीप शुक्ला को सूचना दी। उनके निर्देशानुसार मां और नवजात को एंबुलेंस से सिंगरौली अस्पताल भेजा गया, जहां मंगलवार को उनका आगे का उपचार जारी है। दोनों को पूरी तरह स्वस्थ है। बस में मौजूद अन्य यात्रियों ने नर्सों के इस कार्य को सराहना की।

इनका कहना है चलती बस में सुरक्षित प्रसव कराना चुनौतीपूर्ण था। नर्सिंग स्टाफ के साहस और समर्पण की सराहना की जानी चाहिए। डॉ. संदीप शुक्ला सीबीएमओ

# मंत्री के आशासन के बाद अधिवक्ताओं का क्रमिक अनशन स्थगित

## लिंग व्यवहार न्यायालय संचालन कराने का मिला आशासन

नवभारत न्यूज  
चितरंगी 10 दिसंबर। तहसील मुख्यालय में मंजूर व्यवहार न्यायालय संचालन के लिए स्थानीय अधिवक्ता क्रमिक अनशन पर बैठे थे। आज तीसरे दिन पंचायत राज्यमंत्री राधा सिंह धरना स्थल पर पहुंच अधिवक्ताओं से मुलाकात कर चर्चा की। जहां लिंक व्यवहार न्यायालय संचालन कराने का आशासन दिया। इसके बाद अधिवक्ताओं ने अपना क्रमिक अनशन स्थगित कर दिया है। गौरतलब है कि तहसील मुख्यालय में व्यवहार न्यायालय संचालन के लिए पिछले वर्ष से ही मंजूरी मिली हुई है। इसके बावजूद न्यायालय का संचालन न होने पर स्थानीय

अधिवक्ता संघ अध्यक्ष बापू सिंह के नेतृत्व में पिछले तीन दिनों से बेमियादी क्रमिक अनशन पर थे। आज तीसरे दिन धरना स्थल पर राज्यमंत्री राधा सिंह पहुंच अधिवक्ताओं से मुलाकात की। जहां अधिवक्ताओं ने अपनी पूरी



बात रखी। अंत में फिलहाल लिंक व्यवहार न्यायालय संचालन कराने की बात की गई। मंत्री ने कहा इसे गंभीरता से लिया जाएगा। इसके बाद अधिवक्ताओं ने अपना बेमियादी क्रमिक अनशन फिलहाल स्थगित कर दिया है।

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी जिला-सतना (म.प्र.)  
क. / ... / प्रथम / अपर कले. / 25  
सतना, दिनांक- 11.11.2025  
//सर्वजनिक सूचना//  
विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 6 के तहत  
प्रदत्त द्वाारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आदेशक रवि लोधी तथा श्री प्रेमलाल लोधी उम्र - 21 वर्ष (26.01.2004), स्थिति अविवाहित स्वधी निवासी बार्ड क्र. 06 ग्राम पोस्ट पिपरी कला तहसील उखेड़ा जिला सतना (म.प्र.) पिन कोड 485661 एवं आर्थिका मनीषा सिंगरौली पिता श्री रामरायण सिंगरौली उम्र 20 वर्ष (20.10.2005) स्थिति अविवाहित, स्वधी निवासी ग्राम पोस्ट रेकबर, बड़ा टाला तहसील अमरावटन जिला मेरठ (म.प्र.) पिन कोड 485775 के द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 5 के अन्तर्गत विशेष विवाह अनुष्ठान हेतु आवेदन दिनांक 10.11.2025 को प्रस्तुत किया गया है.  
उक्त प्रस्तावित विवाह अनुष्ठान के विरुद्ध यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह आमतौर लिखित रूप में इस न्यायालय में दिनांक 1.2.12.2025 को या इसके पूर्व न्यायालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. आवेदन समान होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा.  
आज दिनांक 11.11.2025 को गे.वे. हेतु हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पत्र से जारी किया गया.  
अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी जिला-सतना (म.प्र.)